

exploding the **myths**

हम क्या करते हैं...

- बलात्कार अगम्यागमन (इन्सेस्ट) और यौन बलात्कार से सम्बन्धित गोपनीय सलाह देते हैं।
- हम पुलिस चिकित्सिक और कानूनी प्रक्रिया के बारे में समझा सकते हैं।
- शिकार व्यक्ति(पुरुष और महिला) – उनके परिवारों/ मित्रों को भी सहायता, व्यवहारिक सलाह पेश करते हैं।
- बलात्कार और यौन बलात्कार के विषय पर संगठनों से वातचीत करने के लिये स्पीकर का उपबन्ध करते हैं जिससे जनता को और समझने की ओर में सहायता कर सके।
- शिकार व्यक्ति को किमिनल इन्जरीज़ कौम्पेन्सेशन स्कीम(अपराधिक चोट और प्रतिकर योजना) के बारे में सहायता और सलाह देते हैं।

निःशुल्क और पूर्णतः गोपनीय सलाह के  
(01604) 250721 पर सम्पर्क कीजिये

[www.nricc.com](http://www.nricc.com)



NORTHAMPTONSHIRE  
**RAPE & INCEST**  
**CRISIS CENTRE**

Confidential advice on Rape, Incest & Sexual Abuse

OFFICE FOR  
CRIMINAL JUSTICE REFORM



Criminal Justice System: working together for the public

पंजीकृत चैरीटी नम्बर: 297043



NORTHAMPTONSHIRE  
**RAPE & INCEST**  
**CRISIS CENTRE**

Confidential advice on Rape, Incest & Sexual Abuse

कल्पनाओं का भंग करना बलात्कार अगम्यागमन  
(इन्सेस्ट) और यौन बलात्कार पर गोपनीय सलाह



NRICC को शान्त सहायता हमसे मिलती है :  
नॉर्थहैम्पटन बोरो कॉउन्सिल  
और  
नॉर्थहैम्पटन काउन्टी कॉउन्सिल

यह पत्रिका बलात्कार के विषय पर जानकारी और उसके चारों ओर घेरे हुये कल्पनाओं को दूर करने

के लिये बनाई गई है। यह नोर्थहैम्पटनशायर रेप

एन्ड इन्सेस्ट काइसिस सेन्टर द्वारा संकलित की

गई है - हमारा फोन नम्बर(01604) 250721 है

सम्पूर्ण ग्रेट ब्रिटिन मे कई सेन्टर होने पर भी नोर्थहैम्पटनशायर सेन्टर दूसरों

से अलग है। हमारे पास समर्पित कर्मचारी और स्वयंसेवक है जो

बिना अनुमान करके सुनेंगे और व्यवहारिक सहायता और सलाह देंगे

## दी मिथस(कल्पनाएँ)

पहले मिथ्या धारणों को देखें। ज्यादातर भय और अनभिज्ञता के कारण यह उत्पन्न हुए है और बहुत फैले हुए है। बलात्कार सब अपराधों में से एक है जा सबसे कम रिपोर्ट किया जाता है। यह सम्भावना है कि हर एक

रिपोर्ट किये गये बलात्कार के लिये तीन बलात्कार नहीं रिपोर्ट किये जाते।

यह उस भय के कारण से है कि जिस पुरुष, महिला या बच्चे का बलात्कार हुआ है उनका विश्वास नहीं किया जायेगा या किसी तरह उनहोंने हमले

में साथ दिया है। अगर हम इन कल्पनाओं को विस्तार में जाँचे यह देखना बहुत सरल है कि इन में बहुत कम तर्क और सच्चाई है...

### कल्पना

- बलात्कार एक पागल या अनुचित इन्सान द्वारा किया जाता है

### सच्चाई

- जो बलात्कार करता है वह जानवर नहीं है ज्यादातर एक इज़तदार अच्छा आम व्यक्ति होता है जो शिकार को शायद जानता है।

### कल्पना

- बलात्कार केवल अजनबी द्वारा अन्धेरे सड़क पर रात को किया जाता है।

### सच्चाई

- बहुत शिकार व्यक्तियों का बलात्कार जाने पहचाने लोग द्वारा किया जाता है। ज्यादातर लोग अजनबी के पास नहीं जायेंगे पर जाने पहचाने लोग के साथ उनको आराम लगता है। ज्यादातर बलात्कार के हमले या तो शिकार के या हमलावर के घर में होते हैं।

### कल्पना

- अच्छे व्यक्तियों का बलात्कार नहीं होता

### सच्चाई

- किसी का भी बलात्कार हो सकता है। हर आयु वर्ग और जातीय के लोगों को बलात्कार का अनुभव हुआ है। एक व्यक्ति की हैसियत पर निर्भर नहीं है।

### कल्पना

- पुरुष व महिला को बलात्कार में मज़ा आता है या वह उसके सपने देखते है

### सच्चाई

- बलात्कार यौन हिंसा और अपमान का अपराध है जिसमें शायद शामिल कठोर मारपीट, शारीरिक अवरोध और हथियार का प्रयोग होता है। कई शिकारी इन शारीरिक और मानसिक घाव जीवन भर के लिये ले कर रखते हैं। यह किसी के लिये भी एक घृणा उत्पन्न करना और अपमानजनक अनुभव है।

असलीयत में बलात्कार के शिकार को चयन नहीं है। बलात्कार असभ्य और दुष्ट होता है और सहमति के लिये ना तो पूछा या विचार किया जाता है।

### कल्पना

- बलात्कार करने वाले अनियंत्रित यौन भावनाओं से उल्लेजित होते है।

### सच्चाई

- यह साफ है कि बलात्कार करने वाले को यौन के जगह शक्ति और नियंत्रण से ज्यादा मज़ा प्राप्त होता है।